

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.-3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 08/10/2025 को संपन्न 687वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

---00---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.-3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 08/10/2025 को श्री जयसिंह महरके, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री समीर स्वरूप, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री राजीव अहिरे सदस्य सचिव, स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति.

समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1: 683वीं दिनांक 29/08/2025 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.-3), छत्तीसगढ़ की 683वीं बैठक दिनांक 29/08/2025 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स गट्टीपलना ग्रेनाईट माईन (प्रो.- श्री विमल लुनिया), ग्राम-गट्टीपलना, तहसील-फरसगांव, जिला-कोड़ागांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2525)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 433233/2023, दिनांक 20/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गट्टीपलना, तहसील-फरसगांव, जिला-कोड़ागांव स्थित खसरा क्रमांक 2/53, कुल

क्षेत्रफल-1.416 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामकुमार नाग, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में ग्रेनाइट खदान खसरा क्रमांक 2/53 कुल क्षेत्रफल-3.50 एकड़, क्षमता-1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोण्डागांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2017 को जारी की गई।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2
[Signature]

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 112/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2018 से 31/03/2019	767.316
01/04/2019 से 31/03/2020	944.567
01/04/2020 से 31/03/2021	541.909
01/04/2021 से 31/03/2022	805.564
01/04/2022 से 31/03/2023	1,079.939
01/04/2023 से 31/07/2023	323.843

- समिति का मत है कि दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- समिति द्वारा पाया गया कि पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
 - ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गड्डीपलना का दिनांक 17/09/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 - उत्खनन योजना** – रिक्म ऑफ माईनिंग अलॉग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1590/एमसीसी/एमपी-04/2014, अटल नगर, दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
 - 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 113/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।
 - 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
 - भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/04/1988 से 22/04/1993 तक की अवधि तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक

01/01/2014 से 31/12/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। समिति का मत है कि वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का लीज का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कोण्डागांव सामान्य वन मण्डल जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./359 कोण्डागांव दिनांक 23/01/1998 द्वारा जारी पत्र अनुसार यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी, स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-फरसगांव 1.73 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24 कि.मी. दूर है। बरकी नाला 2.23 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,50,925 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 61,700 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,644 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,764
द्वितीय	1,764
तृतीय	1,764
चतुर्थ	1,764
पंचम	1,764

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। 2 घनमीटर प्रतिदिन भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि शेष

आवश्यक जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 729 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 55,404 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,63,400 रुपये, खाद के लिए राशि 5,460 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 2,16,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,40,264 रुपये एवं रख-रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 8,88,352 रुपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Nearby, Village- Gattipalna	
			Plantation in Muktidham	12.70
			Total	12.70

सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज, आवला, अमलतास आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 143,300 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 96,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गट्टीपलना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 0.250 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।



3. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज डीड वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र से निकततम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र से निकततम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
8. ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
9. जल की आपूर्ति (शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन) स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
10. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा

निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/11/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/04/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाइट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाइट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह एक गौण खनिज खदान है, त्रुटिवश मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 142/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 08/01/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 में किये गये उत्खनन की मात्रा 345.562 घनमीटर है।
5. लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है। लीज डीड वर्ष 1993 से 2014 अवधि तक की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल, जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 21/मा.चि./अना. 2023-24 केशकाल, दिनांक 02/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।
7. कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, फरसगांव उप वनमण्डल, वनमण्डल केशकाल, जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 992 फरसगांव, दिनांक 15/12/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज क्षेत्र से निकततम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से 200 कि.मी. की दूरी पर है।
8. ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह पूर्व से संचालित ग्रेनाइट खदान है। अतः पूर्व से ही ऊपरी मिट्टी उत्खनित की जा चुकी है, जिसका उपयोग लीज

क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण में किया गया है। ओव्हर बर्डन का उपयोग सड़कों के रख-रखाव हेतु किया जाता है।

9. शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन जल की आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
10. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 113/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-गड्डीपलना) का क्षेत्रफल 0.303 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. मेसर्स गड्डीपलना ग्रेनाइट माईन (प्रो.- श्री विमल लुनिया) को ग्राम-गड्डीपलना, तहसील-फरसगांव, जिला-कोण्डागांव के खसरा क्रमांक 2/53 में स्थित ग्रेनाइट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.416 हेक्टेयर, क्षमता - 1,764 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2024 को संपन्न 181वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि** समिति द्वारा ग्रेनाइट (मुख्य खनिज) खदान के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है, जबकि समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 3 में "पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाइट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाइट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह एक गौण खनिज खदान है, त्रुटिवश मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है।" का उल्लेख किया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आवेदित प्रकरण मुख्य खनिज या गौण खनिज का है? साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदित प्रकरण को मुख्य खनिज अथवा गौण खनिज, कौन से खनिज अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1232, दिनांक 20/11/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 687वीं बैठक दिनांक 08/10/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/10/2025 को निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:-

1. THE MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957 ACT NO. 67 OF 1957 की प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसके चैप्टर 1 के बिन्दु क्रमांक 3(e) के अनुसार ग्रेनाइट खदान गौण खनिज में आता है।

2. आई.बी.एम., भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी Indian Minerals Year book 2017 (Part – III : Mineral Reviews) 56th Edition में 30 खनिजों को गौण खनिज श्रेणी में रखा गया है, जिसमें ग्रेनाइट भी शामिल है। साथ ही आई.बी.एम., भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी Indian Minerals Year book 2022 (Part – III : Mineral Reviews) 61st Edition Minor Minerals में भी ग्रेनाइट खदान को गौण खनिज श्रेणी में रखा गया है।
3. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में भी ग्रेनाइट खदान शामिल है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन में त्रुटिवश गौण खनिज के स्थान मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक शपथ पत्र (Notarized affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
5. समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन कर पाया कि आवेदित खदान (ग्रेनाइट) गौण खनिज खदान है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 में की गई अनुशंसा के आधार पर लीज एरिया से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी 300 मीटर के संबंध में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश के आलोक में अंतिम निर्णय लिये जाने एवं जिले में लागू डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) वैध होने की शर्त पर ग्रेनाइट (गौण खनिज) की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई अन्य शर्तें यथावत् रहेगी, जो परिशिष्ट-01 में संलग्न है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3:

(परिवेश 1.0) पोर्टल से परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स रामपुरम-1 सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत तिमेड़), ग्राम-रामपुरम, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2422)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429160/2023, दिनांक 13/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान ग्राम-रामपुरम, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 25, कुल क्षेत्रफल-1.215 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इंद्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-12,150 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गोटा मीणा, सरपंच, ग्राम पंचायत तिमेड़ उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव इन्द्रावती नदी से रेत उत्खनन का है, परंतु गूगल मैप में देखने पर चिंतावागु नदी है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा तत्समय अनुरोध किया गया था कि अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से समिति के समक्ष आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 06/10/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 687वीं बैठक दिनांक 08/10/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती लक्ष्मी वासम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत तिमेड़ उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

विषय	विवरण
इन्द्रावती नदी या चिंतावागु नदी के संबंध में स्पष्टीकरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में दिनांक 18/04/2023 को जारी अनुमोदित माईनिंग प्लान में त्रुटिवश इन्द्रावती नदी का आक्षांश एवं देशांश उल्लेखित हो गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः त्रुटि में सुधार कर नवीन उत्खनन योजना अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि कराकर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित खदान चिंतावागु नदी में है।
पूर्व में जारी ई.सी.	यह नवीन खदान है, पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत तिमेड़ दिनांक 02/10/2025
उत्खनन योजना	दिनांक 20/02/2024



अनुमोदन	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 18/04/2023
500 मीटर	दिनांक 18/04/2023 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 18/04/2023 200 मीटर के भीतर कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत तिमेड़ दिनांक – 15/03/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि – 19/03/2024, जिसकी वैधता पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने तक के लिए बढ़ाई गई है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर द्वारा जारी दिनांक 27/02/2023 के अनुसार आवेदित लीज क्षेत्र की 05 कि. मी. की परिधि में अभयारण्य/ टाईगर रिजर्व/ राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम-रामपुरम 415 मीटर स्कूल ग्राम-रामपुरम 500 मीटर अस्पताल-भोपालपट्टनम 7 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग- 0.22 कि.मी. रोड ब्रिज- 312 मीटर (डाउन स्ट्रीम)
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	आर.क्यू.पी. के अनुसार 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई- अधिकतम 170 मीटर, न्यूनतम 147 मीटर खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 198 मीटर, न्यूनतम 155 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 78 मीटर, न्यूनतम 64 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी – अधिकतम 20 मीटर, न्यूनतम 15 मीटर जिस क्षेत्र में नदी के पाट की चौड़ाई 170 मीटर है, उस क्षेत्र में नदी तट के किनारे से खदान सीमा की न्यूनतम दूरी 20 मीटर है। जिस क्षेत्र में नदी के पाट की चौड़ाई 147 मीटर है, उस क्षेत्र में नदी तट के किनारे से खदान सीमा की न्यूनतम दूरी 15 मीटर है। सेण्ड माईनिंग गाईलाइन्स के अनुसार न्यूनतम 10 प्रतिशत छोड़ा गया है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गड्ढे (Pits) की संख्या – 3 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2 मीटर







	रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।		
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस	ग्रिड बिन्दु - 20 मीटर X 20 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 24/04/2023 का सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित स्थल में 20 मीटर गुणा 20 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।		
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर प्रस्तावित वृक्षारोपण - 99 नग 5 वर्ष हेतु प्रस्तावित अनुमानित राशि - रुपये 4,12,214/- ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।		
इन्वायरोमेन्ट मैनेजमेंट प्लान	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.एम.पी. हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-		
	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost/ year in Rs.
	Dust Suppression/ Sprinkling of water	50,000	10,000
	Use of tarpaulin during sand transport	25,000	5,000
	Green Belt	1,19,974	73,060
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, सी.ई.आर. के तहत निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वाहनों का परिवहन आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा। सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत, परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत, खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन्स 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किये जाने बाबत, इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।		
श्रेणी	बी-2, आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 1.215 हेक्टेयर है।		

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21	2%	0.42	Following activities at Nearby Govt. Primary school at Village- Rampuram	
			Renovation of toilet of school with tiles and water tank and water supply facility	1.12
			Total	1.12

2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र दिनांक 08/10/2025 का प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति ने पाया कि आवेदित खदान एक नया खदान है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ऑफिस मेमोरण्डम दिनांक 14.01.2025 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से टिप्पणियां प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जारी ऑफिस मेमोरण्डम के अनुसार आवेदित स्थल का विवरण, स्थल की उपयुक्तता एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ टिप्पणियां (निरिक्षण के आधार पर) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त किया जाना है। अतः उपरोक्त के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ऑफिस मेमोरण्डम दिनांक 14.01.2025 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से टिप्पणियां प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. अनुमोदित उत्खनन योजना की मूल प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. खदान की सीमा से वन क्षेत्र की न्यूनतम सीमा वन कक्ष क्रमांक सहित दस्तावेज वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कार्यालय वनमण्डलाधिकारी को ऑफ लाईन पत्र लेख किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल में 20 मीटर गुणा 20 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत प्रस्तुत किया जाए।
6. नदी तट पर वृक्षारोपण हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 8055 ऑफ 2022 आदेश दिनांक 22/08/2022 के पैरा 33 के अनुसार "In view of the existing legal regime that

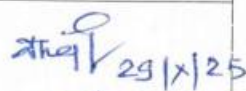
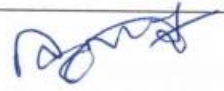
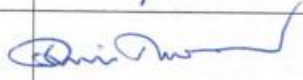
mandates preparation of replenishment report in a scientific manner and such a report forming an integral part of the District Survey Report, we hold that a District Survey Report without a proper replenishment study is equally untenable." का उल्लेख है। उक्त आदेश के तारतम्य में रेत खदानों के प्रकरणों के संबंध में रेत पुनर्भरण अध्ययन को डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट में समाहित करते हुये अद्यतन डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 24/09/2025 के माध्यम से संचालक, संचालनालय भौमिक तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया गया है। अद्यतन डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट संचालनालय, भौमिक तथा खनिकर्म से अप्राप्त है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत पुनःभरण अध्ययन रिपोर्ट सहित अद्यतन डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
श्री समीर स्वरूप, सदस्य, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
श्री राजीव अहिरे, सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	



मेसर्स गड्डीपलना ग्रेनाईट माईन (प्रो.- श्री विमल लुनिया)

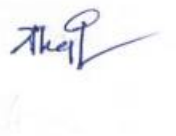
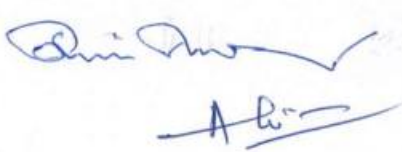
को खसरा क्रमांक 2/53, कुल लीज क्षेत्र 1.416 हेक्टेयर, ग्राम-गड्डीपलना, तहसील-फरसगांव, जिला-कोड़ागांव में ग्रेनाईट (गौण खनिज) उत्खनन - 1,764 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.416 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से ग्रेनाईट का अधिकतम उत्खनन 1,764 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए। लीज क्षेत्र के चारों ओर तार से घेराबंदी किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षेप एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
9. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।



16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Nearby, Village- Gattipalna	
			Plantation in Muktidham	12.70
			Total	12.70

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज, आवला, अमलतास आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 143,300 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 96,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गट्टीपलना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 0.250 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 729 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 नग पौधों का रोपण (कुल 1,029 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू-जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/ अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.-3

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.-3

21

